निर्देश सं. 76

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्तीकि क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एसटीसी बिल्डिंग)
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली- 1 1000 1
दिनांक:29.09.2023

फा . सं. ए- 1 10018/01/2021 -सी एक्यूएम/15322-15331

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के तहत निर्देश- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजी सेट के उपयोग के लिए यन्त्रण/विनियमन की समीक्षा।

1. जबकि, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में , वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया है | (इसके बाद आयोग के तौर पर संदर्भित)|

2. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आयोग का अधिकार है कि एन सी आर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को संरक्षित करने और उसमें सुधार करने के उद्देश्य से ऐसें सभी उपाय करें, निर्देश आदि जारी करे जैसा कि वे आवश्यक या व्यावहारिक समझे |

3. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (2)(ix) आयोग को शक्ति देती है कि वे किसी व्यक्ति, अधिकारी या किसी प्राधिकरण को लिखित में आदेश जारी करे और ऐसे व्यक्ति या अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे आदेशों को मानने के लिए बाध्य होंगे|

4. जबकि, अधिनियम की धारा 12(2)(iv) आयोग को विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जन के निर्वहन के लिए मापदंड निर्धारित करने का अधिकार देती है, जिसका क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है |

5. जबकि, अधिनियम की धारा 12(2)(v) आयोग को क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर प्रभाव डालने वाले संचालन या प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध लगाने और विनियमित करने का अधिकार भी देती है;

6. जबकि, आयोग ने वायु प्रदूषण से संबंधित मामले को हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार तथा केंद्र और राज्य सरकारों/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न संबंधित संगठनों के साथ बार-बार उठाया है और समय-समय पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न निर्देश, सलाह और आदेश जारी किए हैं;

7. जबकि, आयोग ने देखा है और सभी हितधारकों को जागरूक कर रहा है कि, अन्य बातों के अलावा, डीजल जनरेटर (डीजी) सेट का बड़े पैमाने पर अनियमित उपयोग क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गिरावट के लिए एक प्रमुख योगदान कारक है;

8. जबकि, सर्दियों के मौसम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आमतौर पर प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के मद्देनजर, हमारे आयोग ने दिनांक 08.02.2022 के निर्देश संख्या 54-57, उसके बाद दिनांक 14.09.2022 के निर्देश संख्या 68 और इसके संबंधित आदेशों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विशेषत: ग्रेप के प्रतिबंधों की अवधि के दौरान डीजी सेटों के विनियमित उपयोग के लिए आह्वान किया, बशर्ते कि उत्सर्जन नियंत्रण उपायों / उपकरणों / प्रणालियों जैसे अन्य उत्सर्जन नियंत्रण साधनों के साथ रेट्रोफिटेड उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों (ईसीडी) और दोहरे ईंधन मोड (गैस और डीजल) को अपनाए।

9. जबकि, जी.आर.ए.पी के तहत प्रतिबंधों के अलावा भी क्षेत्र में बड़ी संख्या में डीजी सेट संचालित किये जा रहे हैं, इसके कारण भारी वायु प्रदूषण होता है। जो कि चिंता का विषय है और इस प्रकार ऐसी अवधि में डीजी सेटों के उपयोग को विनियमित करने की दृष्टि से, आयोग ने निर्देश संख्या 71 जारी किया जिससे कि गैस सरंचना और उसकी आपूर्ति वाले क्षेत्रों में डीजी सेटों को दोहरे ईंधन मोड में तेजी से बदला जा सके।

10. जबकि, आयोग ने समय-समय पर अपने द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के अनुरूप इस मामले में प्रगति और स्थिति की समीक्षा की है;

11. जबकि, आयोग ने डीजी सेटों के विनियमित उपयोग पर मौजूदा निर्देशों के कुछ प्रावधानों पर दोबारा गौर किया/समीक्षा की और दिनांक 02.06.2023 को संशोधित निर्देश संख्या 73 जारी किया, जो औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और कार्यालय प्रतिष्ठानों आदि सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में लागू होगा, साथ ही 01.10.2023 से अनुसूची को लागू करने के लिए अधिक समय की अनुमति दी गई है।

12. जबकि, रेट्रो-फिटेड ईसीडी और/या दोहरे ईंधन प्रणालियों के माध्यम से डीजी सेटों से उत्सर्जन नियंत्रण के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा/प्रारंभिक कार्रवाई शुरू की गई, इस संदर्भ में विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श/बैठकें आयोजित की गयीं और आयोग को कई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए, जिसमें निम्नलिखित पर प्रकाश डाला गया:

I. डीजी सेटों की सभी क्षमता श्रेणियों और विंटेज के लिए प्रमाणित आरईसीडी और एजेंसियों की उपलब्धता से संबंधित मुद्दे।
II. विशुद्ध रूप से डीजी सेटों के लिए पीएनजी बुनियादी ढांचे और आपूर्ति में उपलब्धता/देरी से संबंधित मुद्दे,
III. आरईसीडी के फिटमेंट/दोहरे ईंधन मोड में परिवर्तन करने के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक मुद्दे, रसद और उसमें लगने वाला समय।
IV. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर 804(ई) दिनांक 03.11.2022 (सीपीसीबी-IV) के अनुसार नवीनतम मानकों के अनुसार डीजी सेटों की उपलब्धता से संबंधित मुद्दे।
V. डीजी सेटों की 19 किलोवाट क्षमता से कम सीमा के अंतर्गत उत्सर्जन नियंत्रण के लिए कोई साधन उपलब्ध/उपयुक्त नहीं हैं (न तो आरईसीडी और न ही दोहरे ईंधन मोड में)।
VI. आपातकालीन सेवाओं के लिए डीजी सेटों के उपयोग से संबंधित मुद्दे।

उपरोक्त के कारण, कई हितधारकों ने मोटे तौर पर निम्नलिखित के लिए अनुरोध किया:

(क) निर्देश संख्या 73 में निर्धारित 30.09.2023 की समय सीमा को लगभग 3 महीने तक बढ़ाया जाना।

(ख) 19 किलोवाट क्षमता से ऊपर के सभी श्रेणियों के डीजी सेटों के लिए आरईसीडी के समायोजन और दोहरी ईंधन प्रणाली में रूपांतरण के लिए "और" के बजाय "अथवा" की शर्त निर्धारित करना।

(ग) जीआरएपी के तहत प्रतिबंधों के दौरान भी, 02.06.2023 के निर्देश संख्या 73 में दिए गए मानकों के अनुपालन के अधीन, बिजली आपूर्ति विफलता की अवधि के लिए 800 किलोवाट से अधिक क्षमता के डीजी सेटों को बिना रुके चलाने की अनुमति देना।

(घ) यहां तक कि जीआरएपी के तहत प्रतिबंधों के दौरान भी, आपातकालीन सेवाओं के लिए <125 किलोवाट क्षमता वाले ऐसे डीजी सेटों को चलाने की अनुमति देना, जहां या तो प्रमाणित ईसीडी वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं या जहां दोहरे ईंधन मोड में उन्हें चलाने के लिए गैस अवसंरचना और आपूर्ति भी उपलब्ध नहीं है।

अब, इसलिए, विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों और प्रस्तुतियों, जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में मुद्दों, आरईसीडी / दोहरी ईंधन प्रणाली / नए जेनसेट्स की सीपीसीबी -IV मानकों के अनुरूप उपलब्धता और उनके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अन्य तकनीकी-वाणिज्यिक विचारों पर विचार करते हुए, आयोग, एक व्यापक समीक्षा के अनुसरण में और डीजी सेटों के लिए नियमों पर सभी मौजूदा निर्देशों / आदेशों / दिशानिर्देशों को दरकिनार करते हुए, अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और कार्यालय प्रतिष्ठानों आदि सहित सभी क्षेत्रों में डीजी सेटों के विनियमित संचालन (केवल नियमित बिजली आपूर्ति विफलताओं के खिलाफ बैकअप के रूप में) के लिए निम्नलिखित अनुसूची को अपनाने का निर्देश देता है:

क्र. सं.	डी जी सेट की क्षमता सीमा	उत्सर्जन नियंत्रण हेतु अपनाया गया सिस्टम	उपयोग के लिए विनियम
1.	एल पी जी /प्राकृतिक गैस /प्रोपेन /ब्युटेन परं चलने वाले सभी क्षमताओं के विजली उत्पादन सेट :	कोई नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं। (यहाँ तक कि ग्रेप की अवधि के दौरान भी)
2.	800के डब्लू तक की क्षमता वाले सभी विजली उत्पादन सेट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक: 03-11-2022 की अधि सूचना संख्या जीएसआर 804(ई) के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार |	कोई नहीं	ग्रेप के अलावा कोई प्रतिबन्ध नहीं । (ग्रेप की प्रतिबन्ध अवधि के दौरान कोई अनुमति नहीं)
3.	800 किलोवाट और ऊपर	नीचे दर्शाये गए उत्सर्जन मनको में निर्धारित मानक के अनुसार किसी उत्सर्जन नियंत्रण	ग्रेप के अलावा कोई प्रतिबन्ध नहीं । (ग्रेप की प्रतिबन्ध अवधि के दौरान कोई अनुमति नहीं)

		प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाएगा।	
4.	125 किलोवाट से लेकर 800 किलोवाट से कम	दोहरी ईंधन मोड या रेट्रो-फिटेड ईसीडी प्रमाणित विक्रेता/एजेंसियाँ के माध्यम से।	कोई प्रतिबंध नहीं। (यहाँ तक कि ग्रेप अवधि के दौरान भी)
5.	19 किलोवाट से लेकर 125 किलोवाट से कम	दोहरी ईंधन मोड	कोई प्रतिबन्ध नहीं। (यहाँ तक कि ग्रेप अवधि के दौरान भी) गैस संरचना और आपूर्ति उपलब्ध न होने के कारण दोहरे ईंधन मोड में न चल रहे डी जी सेटों को आपात कालीन सेवाओं के तहत केवल निर्धारित शर्तों के अनुसार चलने की अनुमति होगी।
6.	पोर्टेबल डी जी सेट्स (19 किलो वाट से नीचे)	वर्तमान में इस श्रेणी में डी जी सेटों की क्षमता रेंज में कोई विशेष उत्सर्जन नियंत्रण के साधन उपलब्ध नहीं हैं।	(ग्रेप की अवधि के दौरान के प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं। ग्रेप के अधीन प्रतिबंधों की अवधि के दौरान सामान्यत: अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन आपातकालीन सेवाओं के तहत ग्रेप अवधि के दौरान भी निर्धारित शर्तों के अनुसार चलाने की अनुमति होगी।

टिप्पणी :- 800 किलोंवाट और उससे उपर की क्षमता के डी जी सेटों से उत्सर्जन के लिए मानक

क्र०सं	पैरामीटर	उत्सर्जन मानक
(i)	PM (15% O_2 पर)	50 mg/nm^3
(ii)	NOX (15% O_2 पर)	650 mg/nm^3
(iii)	C O (15% O_2 पर)	100 mg/nm^3
(iv)	न्यूनतम डी जी स्टेक हाइट	बिल्डिंग की ऊचाई के ऊपर जहाँ डीजी सेट लगाया गया है, वहां जमीन के स्तर से अधिकतम 30 मीटर या न्यूनतम 6 मीटर में से जो भी अधिक हो। टिप्पणी: - उदाहरण के लिए ,जहाँ ऐसे डी जी सेट लगाये गये हों, बिल्डिंग की ऊचाई 20 मीटर हो तो डी जी सेट की जमीन से अधिकतम स्टेक हाइट 30 मीटर होनी चाहिए। और

		यदि बिल्डिंग की उचाई 27 मीटर है तो डी जी सेट की स्टेक हाइट जमीनी स्तर से 33 मीटर होनी चाहिए|

डीजी सेटों के संचालन के लिए दिनांक 02.06.2023 के निर्देश संख्या 73 के तहत जारी विनियमित अनुसूची 01.10.2023 से प्रभावी हुई थी। उपरोक्त संशोधित अनुसूची कार्यान्वयन के साधनों को और आसान बनाती है और विभिन्न हितधारकों की व्यावहारिक कठिनाइयों और तकनीकी-वाणिज्यिक चिंताओं को संबोधित करती है और इस प्रकार डीजी सेटों के विनियमन के लिए संशोधित अनुसूची 01.10.2023 से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू होगी।

उपरोक्त संशोधित अनुसूची के बावजूद, आपातकालीन सेवाओं को बाधित न करने और ऐसे मौजूदा डीजी सेटों में निर्धारित उत्सर्जन नियंत्रण तंत्र को अपनाने के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से आयोग, एक बार के अपवाद के तौर पर सभी क्षमता श्रेणियों के लिए डीजी सेटों (जो अभी भी उपरोक्त अनुसूची के अनुसार उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों / प्रणालियों से सुसज्जित नहीं हैं) को केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपातकालीन सेवाओं के लिए चलाने की अनुमति देता है, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है, यहां तक कि जीआरएपी के तहत प्रतिबंधों की अवधि के तहत, केवल 31.12.2023 तक और उसके बाद उत्सर्जन नियंत्रण के लिए उपरोक्त अनुसूची / उपायों के पालन के अधीन है :-

i. विभिन्न प्रतिष्ठानों में लिफ्ट / एस्केलेटर / ट्रैवलेटर आदि; वाणिज्यिक संस्थाएं/आवासीय सोसाइटियां, हालांकि, यह सुनिश्चित करेंगी कि डीजी सेटों का संचालन और उनसे आपूर्ति केवल लिफ्ट/एस्केलेटर/ट्रैवेलेटर आदि के संचालन तक सीमित हो, वाणिज्यिक संस्थाओं/आवासीय सोसाइटियों की किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं।
ii. चिकित्सा सेवाएं (अस्पताल/नर्सिंग होम/स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं) जिसमें जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण, औषधियां और दवाइयों के विनिर्माण में शामिल इकाइयां शामिल हैं।
iii. रेलवे सेवाएं/रेलवे स्टेशन।
iv. मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और एमआरटीएस सेवाएं, जिनमें ट्रेनें और स्टेशन शामिल हैं।
v. हवाई अड्डे और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी)।
vi. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।
vii. जल पंपिंग स्टेशन।
viii. राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व से संबंधित परियोजनाएं।
ix. दूरसंचार और आईटी/डेटा सेवाए |

यह भी दोहराया जाता है कि उपरोक्त सूचीबद्ध आपातकालीन सेवाओं में उपयोग किए जा रहे डीजी सेटों के संबंध में 31.12.2023 को या उससे पहले उचित उत्सर्जन नियंत्रण तंत्र लागू किया जाएगा, ताकि उसके बाद कानूनों / नियमों / विनियमों / निर्देशों आदि के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई से बचा जा सके।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य पीसीबी/डीपीसीसी उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और नियमित रूप से क्षेत्र स्तर के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे।

हस्ता ०
(अरविंद. नौटियाल)
सदस्य सचिव
फोन न. 011-23701197
ईमेल: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में,

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, डीपीसीसी
2. अध्यक्ष, एचएसपीसीबी
3. अध्यक्ष, आरएसपीसीबी
4. अध्यक्ष, यूपीपीसीबी
5. अध्यक्ष, सीपीसीबी।
6. अध्यक्ष और सभी सदस्य, सीएक्यूएम।

हस्ता ०

(अरविंद. नौटियाल)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्तीकि क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एसटीसी बिल्डिंग)
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली- 1 1000 1
दिनांक:11.12.2023

फा . सं. ए- 11016/01//2022 -सीएक्यूएम/वॉल्यूम-III /1165

विषय: निदेश संख्या 76 दिनांक 29-09-2023 में संशोधन-डीजी सेटों का विनियमित उपयोग के सम्बन्ध में

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की, धारा 12 के तहत आयोग द्वारा दिनांक 29.09.2023 को निदेश संख्या 76 जारी किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और कार्यालय प्रतिष्ठानों आदि में डीजी. सेटों के विनियमित संचालन (केवल नियमित बिजली आपूर्ति विफलताओं के विरुद्ध बैकअप के रूप में) के लिए एक कार्यक्रम को अपनाने का निदेश दिया गया था।

2. अब 41 किलोवाट क्षमता तक के डीजी सेटों के लिए भी प्रमाणित ई.सी.डी. की उपलब्धता के कारण, जबकि पहले केवल 61 किलोवाट क्षमता और उच्च गुणवत्ता तक के डीजी. सेट उपलब्ध थे कथित निदेश संख्या 76 दिनांक:- 22.02.2024 को संशोधित डी.जी. सेट क्रम संख्या 4 और 5 से उत्सर्जन नियंत्रण के लिए कार्यक्रम एतद्द्वारा जारी किया गया | इसे दुबारा आंशिक रूप से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

क्रम संख्या	डीजी सेट- क्षमता सीमा जिसे दिनांक 22-02-2024 को संसोधित किया गया है	डीजी सेट क्षमता सीमा जो कि अब संशोधित की जाती
4	61 किलोवाट से लेकर 800 किलोवाट तक	41 किलो वाट से लेकर 800 किलो वाट तक
5	19 किलोवाट से लेकर 61 किलोवाट तक	19 किलो वाट से लेकर 41 किलो वाट तक

3. दिनांक 29-09-2023 की निदेश संख्या 76 के अंतर्गत अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

हस्ता ०

(अरविंद. नौटियाल)
सदस्य सचिव

सेवा में,

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार

4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिलिपि

1. अध्यक्ष, डीपीसीसी
2. अध्यक्ष, एचएसपीसीबी
3. अध्यक्ष, आरएसपीसीबी
4. अध्यक्ष, यूपीपीसीबी
5. अध्यक्ष, सीपीसीबी
6. अध्यक्ष एवं सभी सदस्य, सीएक्यूएम

हस्ता ०

(अरविंद. नौटियाल)
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्तीकि क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एसटीसी बिल्डिंग)
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली- 1 1000 1

दिनांक:22.02.2024

फा . सं. ए- 11016/01/2022 –सीएक्यूएम/वॉल्यूम-III

विषय: निदेश संख्या 76 दिनांक 29-09-2023 में संशोधन-डीजी सेटों का विनियमित उपयोग के सम्बन्ध में

एक व्यापक समीक्षा के अनुसरण में और डीजी सेटों के विनियमनों पर सभी मौजूदा निदेशों/आदेशों/दिशानिदेशों के स्थान पर, दिनांक 29.09.2023 को आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के अंतर्गत जारी किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में डीजी सेटों (केवल नियमित बिजली आपूर्ति विफलताओं के खिलाफ बैकअप के रूप में) के विनियमित संचालन के लिए अनुसूची को अपनाने का निदेश दिया गया था, जिसमें औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और कार्यालय प्रतिष्ठान आदि शामिल हैं।'

2. चूँकि, प्रमाणित रेट्रोफिटेड उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण (आरआईआईसीडी) अब 61 से 125 किलोवाट क्षमता वाले डीजी सेटों के लिए भी उपलब्ध हैं, उक्त निदेश संख्या 76 दिनांक 29.09.2023 में क्रम संख्या 4 और 5 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

क्रम संख्या	डीजी सेट- क्षमता सीमा जैसा कि निदेश संख्या 76 में उल्लेख किया गया है	डीजी सेट क्षमता सीमा अब संशोधित
4	125 किलोवाट से लेकर 800 किलोवाट तक	61 किलो वाट से लेकर 800 किलो वाट तक
5	19 किलोवाट से लेकर 125 किलोवाट तक	19 किलो वाट से लेकर 61 किलो वाट तक

3. निदेश संख्या 76 दिनांक: - 29-09-2023 के अंतर्गत अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

हस्ता ०

(अरविंद. नौटियाल)
सदस्य सचिव

सेवा में,

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार

4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिलिपि

1. अध्यक्ष, डीपीसीसी
2. अध्यक्ष, एचएसपीसीबी
3. अध्यक्ष, आरएसपीसीबी
4. अध्यक्ष, यूपीपीसीबी
5. अध्यक्ष, सीपीसीबी
6. अध्यक्ष एवं सभी सदस्य, सीएक्यूएम

हस्ता ०

(अरविंद. नौटियाल)
सदस्य सचिव